बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 03.07.2017 को कलैक्ट्रेट सभागार में सांय 4.00 बजे जिला स्तरीय समिति गाजियाबाद की प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसका कार्यवृत्त इस प्रकार है।

बैठक में प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसल ऋण माफी योजना की चर्चा की गयी। तथा बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त बैंक समन्वयकों को तथा उपस्थित अधिकारियों को फसल ऋण मोचन योजना का स्वरूप, किसानों की पात्रता, क्रियान्वयन की रूप रेखा, हितधारकों के रूप में कृषि विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्व विभाग, एन0आई0सी0 एवं ऋण प्रदाता संस्थाओं आदि की भूमिका एवं दायित्व तथा शिकायत निवारण प्रणाली के संबन्ध में जारी किये गये आवश्यश्क दिशा–निर्देशों की जानकारी दी गयी।

बैठक में योजना में पात्रता हेतु मानदण्ड के बारे में जानकारी दी गयी। बैठक में बताया गया कि ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों को जिनके द्वारा फसल ऋण दिनांक 31 मार्च 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो, राज्य सरकार एक लाख रूपये तक की धनराशि का ऋण मोचन प्रदान करेगी। ऋण मोचन धनराशि की गणना के प्रयोजन हेतु दिनांक 31 मार्च 2016 को बकाया (ब्याज सहित) से वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में किसान द्वारा आहरित धनराशि या नई स्वीकृतियों पर विचार किये बिना वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि (दिनांक 31 मार्च 2016 के पश्चात और दिनांक 31 मार्च 2017 तक) में किसानों से प्राप्त प्रति भुगतान को घटा दिया जायेगा। किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान हेतु 02 हैक्टेअर व सीमान्त किसानों हेतु 01 हैक्टेअर से अधिक न होगा। केवल फसल उगाने हेतु बीज एवं उर्वरक पर लिया गया ऋण ही माफ होगा।

बैठक में उपस्थित सभी बैंक कार्डिनेटर को बताया गया कि योजना के संबन्ध में दिनांक 24.06.2017 एवं 30.06.2017 को शासन से दो शासनादेश निर्गत किये गये हैं। जिनको पूर्ण रूप से पढ लिया जाये तथा 4.07.2017 को अपने मोबाईल नंबर पर लागिन एवं पासवर्ड प्राप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 05.07.2017 से दिनांक 15.07.2017 तक दस दिन के अन्दर योजना से संबन्धित समस्त डाटा पोर्टल पर फीड कर सार्वजनिक रूप से प्रर्दशित करने हेतु कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये। ऐसे कृषक जिनका तकनीकि कारणों से डाटा पोर्टल पर फीड नहीं हो सका है, समय व्यर्थ न करते हुए उनका डाटा द्वितीय चरण में फीड किया जाये।

कार्यवाही– अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिन्डीकेट बैंक, गाजियाबाद

बैठक में श्री संजय कुमार, एन0आई0सी0 द्वारा दिनांक 05.07.2017 से दिनांक 15.07.2017 तक बैंकों के द्वारा पोर्टल पर योजना से संबिन्धत किये जाने वाले डाटा फिडिंग कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। तथा बताया गया कि अगर किसी कृषक का तकनीकि कारणों से डाटा पोर्टल पर फीड नहीं हो सका है, समय व्यर्थ न करते हुए उनका डाटा द्वितीय चरण में फीड किया जाये।

कार्यवाही– अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिन्डीकेट बैंक, गाजियाबाद

बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सिन्डीकेट बैंक गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि तत्काल ऋण मोचन योजना के शासनादेश की प्रति प्रत्येक बैंक शाखा को उपलब्ध करा दे तथा दो दिन के अन्दर समस्त बैंक शाखा प्रबन्धक अपने बैंक में कितने पात्र लघु एवं सीमान्त कृषक हैं उसका विवरण तैयार कर जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सिन्डीकेट बैंक गाजियाबाद के माध्यम से कृषि विभाग की ई–मेल आई डी DAOGZB@gmail.com पर उपलब्ध करा दें।

कार्यवाही– अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिन्डीकेट बैंक, गाजियाबाद

अन्त में निर्देशित किया गया कि बैठक में अनुपस्थित बैंक समन्वयको के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही– अग्रणी जिला प्रबन्धक, सिन्डीकेट बैंक, गाजियाबाद

(रमेश रंजन)
मुख्य विकास अधिकारी
गाजियाबाद

पत्रांक / 217 / फसल ऋण मोचन योजना / बैठक कार्यवृत / 2017–18 / दिनांक 04-07–2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदया गाजियाबाद की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी (भू / अ0) गाजियाबाद।
3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजियाबाद
4– जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद
5– डी0डी0एम0 नाबार्ड गाजियाबाद
6– एल0डी0एम0 सिन्डीकेट बैंक नवयुग मार्केट गाजियाबाद
7– महाप्रबन्धक सहकारी बैंक गाजियाबाद
8– फील्ड आफिसर एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्श कं0 ऑफ इण्डिया गाजियाबाद
9– सहायक प्रबन्धक ओरियन्टल इन्श्योरेंश कं0 रीजनल–2, 50 नवयुग मार्केट गाजियाबाद
10– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी गाजियाबाद
11– उप कृषि निदेशक, गाजियाबाद
12– जिला कृषि अधिकारी गाजियाबाद
13– जिला उद्यान अधिकारी गाजियाबाद
14– जिला सहायक निबन्धक / उपायुक्त सहकारी समितियाँ गाजियाबाद
15– जिला गन्ना अधिकारी गाजियाबाद
16– समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद गाजियाबाद

मुख्य विकास अधिकारी
गाजियाबाद

RAHUL/RAMBHAJAN/lettter